

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

रामपाल बनाम लाडू (कारा)

मुकदमा वापपत्र 53-54-188 नं. 18 सन 2022

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम या हुकम हुकम की तारीख म जारी हुए

22 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीय को समन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 29.4.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल

29^y हुकम या उपखण्ड अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर जाकर पत्रावली / पदरिक्त हुकम अतः पत्रावली दिनांक 27.5.22 को पेश हो।

रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल

28 वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जावेसे पत्रावली सिवाह से तबल की गई, प्रार्थना पत्र से शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना में निवेदन दिया कि पक्षी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। वादी प्रतिवादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अतः प्रकरण को इसी स्तर पर मोट प्रेस में खारीज प्रमाण जावे।



रामपाल
Id by me
Rajmal Jindal
28

मैंने वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। अध्यादेश में वकील वादी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है प्रकरण इसी स्तर पर मोट प्रेस में खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा